



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 18.04.2025

थाना बीटा-2 पुलिस व गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000/- रुपये के इनामी बदमाश के बीच हुई पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में -

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18.04.2025** को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा एटीएस गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी तभी सामने से एक मोटर साइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया लेकिन वह रूका नहीं और भागने का प्रयास करने लगा। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त मोटर साइकिल सवार का पीछा किया गया तो उसके द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही में बदमाश पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया। जिसकी पहचान सुकेश पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम हिनरोटी थाना ककोड जिला बुलन्दशहर के रूप में हुयी है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा चोरी की एक मोटर साइकिल नं0 यूपी 14 एक्यू 9337 बरामद हुयी है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास व अन्य जानकारी की जा रही।

अपराध करने का तरीका-- गहन जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सुकेश रजिस्टर्ड गैंग डी-181 का सक्रिय सदस्य है इस गैंग का गैंग लीडर निखिल है जो वर्तमान में जेल में है। इस गैंग द्वारा वर्ष 2022 में एसटीएफ कर्मचारी से उसकी मारुति ईको कार संख्या यूपी 16 एच 6617 में रखी पिस्टल , वाईफाई डिवाइस को लूटने की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्त सुकेश अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अनुचित भौतिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनता के व्यक्तियों को डरा धमकाकर अवैध असलाह के बल पर डकैती/लूट की घटनाएं कारित करता है। अभियुक्त थाना बीटा-2 के मु0अ0सं0-574/2024 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर अधि0 में दिनांक 13.12.2024 से वांछित चल रहा है जिसकी गिरफ्तारी के लिए 25000/- रुपये का इनाम घोषित है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-574/2024 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बीटा-2 ग्रेनो गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 347/2022 धारा 395,412/120बी भादवि थाना बीटा-2 ग्रेनो गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 80/2023 धारा 414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 ग्रेनो गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 164/2025 धारा 109/317(5) bns व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 ग्रेनो गौतमबुद्धनगर